

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in

पत्रांक 2280/12-1, गोपेश्वर,

Phone no-01372-252175

दिनांक

18/12

2021।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौघर।

विषय:-

जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत ग्वाड़-डिडांली रिखताली-पारताली-किमोली मोटर मार्ग के नया निर्माण हेतु 2.20 हे0 वन भूमि गैर वानिकी कार्या हेतु लोक निर्माण विभाग का प्रत्यावर्तन। (online proposal no FP/UK/Road/62388/2020)

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/80/2021/एफ0सी0/928 दिनांक 29.10.2021.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, उक्त मोटर मार्ग के सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों के अनुसार इस कार्यालय द्वारा मांग पत्र प्रेषित की जा रही है:-

1- शर्त सं0 01 के अनुसार प्रयोग एजेन्सी द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 4.40 हे0 सिविल सायन भूमि ग्राम ग्वाड़ खसरा न0 1469 में प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु देय धनराशि / Ca rate of 4.40 हे0 area में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0 1459/3-5-2 पी0ओ0 दिनांक 01.07.2021 में उल्लिखित वसूली वर्ष 2021-22 के लिये निर्धारित दर रू0 3,70,902.00 के अनुसार 4.40ha x 370902.00=1631968.80 या रू0 1631969.00 मात्र जमा की जानी है।

2. शर्त सं0 02 के अनुसार प्रयोग एजेन्सी द्वारा भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित दरो के अनुसार एन0पी0वी0 हेतु 2.20 हे0 के लिए दर प्रति हे0 6,57,000.00= रू0 14,45,400.00 जमा की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मांग पत्र को ऑन लाईन अपलोड करते हुए नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन होने पर ऑनलाईन वाला से ही धनराशि उत्तराखण्ड कैम्पा में जमा करने के पश्चात सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या विन्दुवार संलग्नकों सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए अनुपालन आख्या को ऑनलाईन भी करने कष्ट करें। ताकि सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या उच्च स्तर को विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा सके।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

दिनांकित।

पत्रांक

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को उपरोक्त संदर्भित पत्र के प्रतियों में जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

16/12